न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

—————— xx —————— xx ——————

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 05/2020 अपील (2020/00433)

अपीलार्थी

श्रीमती रानू उर्फ रानी हाडा पिता स्व. ईश्वरलाल जी, पत्नी धनसिंह जी रावणा राजपूत निवासी जावरा (निमडी हाल निवास बिजयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

1- श्रीमती नगीनादेवी पत्नी नातायत पत्नी स्व० ईश्वरलाल हाडा रावणा राजपूत निवासी बिजयपुर

2- तेजसिंह हाडा पिता स्व. ईश्वरलाल रावणा राजपूत ना.बा. जरिए संरक्षक माता नगीनादेवी पत्नी ईश्वरलाल जी रावणा राजपूत निवासी बिजयपुर

3- सुश्री किरण हाडा पिता स्व. ईश्वरलाल रावणा राजपूत ना.बा. जरिए संरक्षक माता श्रीमती नगीना देवी पत्नी ईश्वरलाल रावणा राजपूत निवासी बिजयपुर

4- ग्राम पंचायत बिजयपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत बिजयपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश इंतकाल नं. 115 फैसला दिनांक 04/8/2014 ग्राम पंचायत बिजयपुर अन्तर्गत धारा 75 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र कुमार राजोरा अधिवक्ता अपीलान्ट
2 श्री रघुमराज [illegible] अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (सं 3
---- [illegible]

(न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ — सत्यमेव जयते — जिला चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स एवं इतकाल संख्या 115 दिनांक 04/8/2014 ग्राम पंचायत बिजयपुर इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत बिजयपुर द्वारा अपीलान्ट के पिता ईश्वरलाल की मृत्युपरांत खोले गये विरासत का इतकाल नं. 115, खोलने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी, न साक्ष्य सफाई का मौका दिया और अपीलान्ट को बिना सुने एक तरफा विवादित इतकाल खोल दिया जिससे अपीलान्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से वंचित हो गयी और अपीलान्ट के विवादित आराजीयात मे निहित समस्त विरासती हक अधिकार समाप्त हो गये है। अपीलान्ट के परिवार का सजरा निम्न है!—

मूल पुरुष
ईश्वरलाल फौत दिनांक 13/5/2012

- पुत्री → रानु उर्फ रानी हडा (अपीलान्ट)
- विवाहिता पत्नी → पप्पूबाई
- नाताप्रथा पत्नी → नगीनादेवी (रेस्पो. नं. 1)
- पुत्र → तेजसिंह (रेस्पो. नं. 2)
- पुत्री → सुश्री किरण (रेस्पो. नं. 3)

उक्त सजरे अनुसार अपीलान्ट स्व. ईश्वरलाल की एक मात्र पुत्री होकर वैधानिक उत्तराधिकारी है स्व. ईश्वरलाल के हिस्से की आराजी पर काश्त कर रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को उक्त सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी ईश्वरलाल की मृत्युपरान्त बिना जांच किए बिना नोटिस दिए इतकाल नम्बर 115 खोला जो न्याय नियमो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के पिता की अचानक मृत्यु दिनांक 13/5/2012 को हो गयी। अपीलान्ट के मृतक ईश्वरलाल [illegible] विवाहिता पत्नी पप्पूबाई की इकलौती पुत्री होकर [illegible] के जीवित रहते हुए स्व. ईश्वरलाल ने पप्पूबाई [illegible] नगीना देवी रेस्पोडेन्ट 1 से नाता विवाह कर पत्नी [illegible] लिया और अपीलान्ट

---लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:26:43 IST
Reason: SelfAttested

को मात पापुबाई का परित्याग कर दिया और अपीलान्ट को विवाह कर लिया, जिससे अपीलान्ट ससुराल रहने लग गयी। उसके बाद रेस्पोन्डेन्ट 1 के रेस्पोन्डेन्ट्स नं. 2, 3 का जन्म हो गया तथा अपीलान्ट के पिता तथा अचानक दिनांक 13/5/2012 को इकबाल लाल का देहान्त हो गया तथा रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 ने तथ्य छिपाकर इंतकाल 115 रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 से 3 के नाम खुलवा लिया जबकि अपीलान्ट जो उसके पिता इकबाल लाल की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 मृतक इकबाल लाल की आतायत पत्नी होकर वैध विवाहित पत्नी नहीं है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट सं. 4 द्वारा खोला गया विवादित इंतकाल नं. 115 अपीलान्ट के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की जानकारी में आने पर विवादित इंतकाल एवं खाते की नकल प्राप्त कर कानूनी राय लेकर बिना देरी किए यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद 30 दिन में पेश है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु कानून मियाद आवेदन मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर विवादित इंतकाल नं. 115 दिनांक 04/8/2014 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलान्ट को सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टस को जरिए नोटिस तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्ट सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोन्डेन्ट 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली [illegible] किया। अपीलान्ट ने दफा 5 कानून मियाद अधिनियम [illegible] मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया कि जानकारी में आने [illegible] अपील इंतकाल पेश कर दी है। मियाद अवधि [illegible] है। पत्रावली

---लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:26:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
[illegible] अधिकारी
[illegible] (राज.)

मे उपलब्ध अपील मेमो एवं दस्तावेजात का अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गम्भीरता से चिन्तन-मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाह नारायणसिंह पिता कालुसिंह रावणा राजपूत नि० आकुणा तथा मुन्नालाल पिता भोलीराम माली निवासी बिजयपुर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया अपीलान्ट मृतक ईश्वरलाल की पुत्री होना प्रमाणित होता है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बिजयपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 05/8/2015 मृतक ईश्वरलाल के वारिसान की बिना विस्तृत जांच किए निर्णित किया गया है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 115/05/8/2015 ग्राम खेरच प० ह० बिजयपुर निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि मृतक ईश्वरलाल के पारिवारिक सजरे की विस्तृत जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को प्रेषित की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:26:43 IST
Reason: SelfAttested